न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 01/54/2018

1. दिनेश्वर दयाल पुत्र श्री विनय दयाल शर्मा जाति ब्राहमण
2. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नि श्री दिनेश्वर दयाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासियान राजगढ़

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ
2. तिलकराज पुत्र मंग्गाराम कौम पंजाबी निवासी राजगढ – प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक

उपस्थित – श्री सीताराम वशिष्ठ, एड. वादी
– श्री मुकेश कुमार जैमन, एड. प्रतिवादी 02

निर्णय

दिनांक 10.08.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी द्वारा दावा इस्तकरार हक आराजी का पेश कर निवेदन किया कि साबिक खसरा नम्बर 286 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम राजगढ़ तहसील राजगढ में स्थित है जिसका 1/16 हिस्सा वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15.11.90 को खरीद किया है। बयनामे में साबिक खसरा नम्बर 286 के साथ हाल खसरा नम्बर 420/0.18 व 422/0.12 हैक्टेयर अंकित कर दिये गये जबकि बन्दोबस्त 2046 में साबिक खसरा नम्बर 286 का नवीन खसरा नम्बर 420/0.33 हैक्टेयर कायम किया है। उक्त बयनामा का राजस्व रिकॉर्ड में अमल होने बाबत् नामान्तकरण दर्ज होने की कार्यवाही नहीं हुई है तथा उक्त खरीदशुदा आराजी का पूर्व के अनुसार बेचानकर्ता प्रतिवादी संख्या 02 तिलकराज के नाम वर्तमान में भी हाल खसरा नम्बर 420/0.33 में से 1/16 हिस्से की खातेदारी दर्ज है जबकि वादीगण मुताबिक बयनामा तिलकराज के स्थान पर 1/16 हिस्से के खातेदार दर्ज होने चाहिए। अन्त में दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी को हाल खसरा नम्बर 420/0.33 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 02 तिलकराज के 1/16 हिस्से का मुताबिक बयनामा दिनांक 15.11.90 के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये तथा उनके द्वारा इकबाल जवाब पेश कर दावा वादी डिक्री करने का निवेदन किया।

वादी की ओर से साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र व दस्तावेज नकल बयनामा दिनांक 15.11.90 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 168 व रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 12.03.2018 पेश की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। वादी द्वारा बहस के दौरान वाद वादी तथ्यों को दोहराते हुए उल्लेख किया कि साबिक खसरा नम्बर 286 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम राजगढ़ तहसील राजगढ में स्थित है जिसका 1/16 हिस्सा वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15.11.90 को खरीद किया है। बयनामे में साबिक खसरा नम्बर 286 के साथ हाल खसरा नम्बर 420/0.18 व 422/0.12 हैक्टेयर अंकित कर दिये गये जबकि बन्दोबस्त 2046 में साबिक खसरा नम्बर 286 का नवीन खसरा नम्बर 420/0.33 हैक्टेयर कायम किया है। उक्त बयनामा का राजस्व रिकॉर्ड में अमल होने बाबत् नामान्तकरण दर्ज होने की कार्यवाही नहीं हुई है तथा उक्त खरीदशुदा आराजी का पूर्व के अनुसार बेचानकर्ता प्रतिवादी संख्या 02 तिलकराज के नाम वर्तमान में भी हाल खसरा नम्बर 420/0.33 में से 1/16 हिस्से की खातेदारी दर्ज है जबकि वादीगण मुताबिक बयनामा तिलकराज के स्थान पर 1/16 हिस्से के खातेदार दर्ज होने चाहिए इसकी पुष्टि वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज नकल बयनामा दिनांक 15.11.90 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता

संख्या 168 व रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 12.03.2018 से होती है। साथ ही बेचानकर्ता जिसके नाम वर्तमान में आराजी का 1/16 हिस्सा जो खातेदारी में दर्ज है के द्वारा भी इकबाल जवाब पेश कर दावा वादी डिक्री करने की सहमति दी है। अन्त में दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी को हाल खसरा नम्बर 420/0.33 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 02 तिलकराज के 1/16 हिस्से का मुताबिक बयनामा दिनांक 15.11.90 के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 02 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर अपने इकबाल जवाब के अनुसार दावा वादी डिक्री करने में सहमति दी।

मैंने बहस वकुलाय पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वादी की ओर से वाद पत्र की पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। मुताबिक बयनामा दिनांक 15.11.90 के अनुसार साबिक आराजी खसरा नम्बर 286 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा का 1/16 हिस्सा वाके ग्राम राजगढ वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के खरीद करना साबित होता है। उक्त साबिक आराजी का मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 420/0.33 हैक्टेयर वाके राजगढ बनना भी साबित है। जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 168 वाके राजगढ के अंकित इन्द्राज के अनुसार हाल खसरा नम्बर 420/0.33 वाके राजगढ का अन्य खातेदारों के साथ 1/16 हिस्सा का खातेदार तिलकराज पुत्र मांग्याराम भी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर वाद वादी तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुए दावा वादी डिक्री करने में सहमति जरिये इकबाल जवाब दी है। इस प्रकार विवेचन से वाद वादी काबिल डिक्री योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी इस्तकरार हक हाल आराजी खसरा नम्बर 420/0.33 हैक्टेयर वाके राजगढ तहसील राजगढ 1/16 हिस्सा तक मुताबिक बयनामा दिनांक 15.11.90 के अनुसार डिक्री किया जाता है। हाल रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी तिलकराज पुत्र मंग्गा कौम पंजाबी का नाम खातेदारी से हजफ किया जाकर वादी को उसके हिस्से का मुताबिक बयनामा दिनांक 15.11.90 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी उक्तानुसार अपने खरीदशुदा 1/16 हिस्से की आराजी को मुताबिक बयनामा दिनांक 15.11.90 के अनुसार अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद संख्या	किस्म वाद	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
01/54/2018	दावा बाबत इस्तकरार हक	29.05.2018	10.08.2018

1. दिनेश्वर दयाल पुत्र श्री विनय दयाल शर्मा जाति ब्राहमण
2. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नि श्री दिनेश्वर दयाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासियान राजगढ़

— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ
2. तिलकराज पुत्र मंग्गाराम कौम पंजाबी निवासी राजगढ — प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक

उपस्थित — श्री सीताराम वशिष्ठ, एड. वादी
— श्री मुकेश कुमार जैमन, एड. प्रतिवादी 02

पर्चा–डिक्री दिनांक 10.08.2018

दावा वादी इस्तकरार हक हाल आराजी खसरा नम्बर 420/0.33 हैक्टेयर वाके राजगढ तहसील राजगढ 1/16 हिस्सा तक मुताबिक बयनामा दिनांक 15.11.90 के अनुसार डिक्री किया जाता है। हाल रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी तिलकराज पुत्र मंग्गा कौम पंजाबी का नाम खातेदारी से हजफ किया जाकर वादी को उसके हिस्से का मुताबिक बयनामा दिनांक 15.11.90 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी उक्तानुसार अपने खरीदशुदा 1/16 हिस्से की आराजी को मुताबिक बयनामा दिनांक 15.11.90 के अनुसार अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.08.2018 को तैयार की गई।

(विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)